# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 12/2020

जीसीएमएस नम्बर : 2020/00052

**प्रार्थी:–**

सीता कवंर पत्नी रतनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी झूपेलाव तहसील सोजत जिला पाली

**बनाम**

**अप्रार्थीगण :–**

1. सोहनसिंह पुत्र रतनसिंह, जाति राजपुरोहित निवासी झूपेलाव तहसील सोजत जिला पाली
2. ग्राम पंचायत झूपेलाव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत झूपेलाव, तहसील सोजत

**"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी।

**–: निर्णय :–**

**दिनांक : 28/03/2025**

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत झुपेलाव द्वारा मिसल संख्या 01/2013–14, संकल्प संख्या 04/2013–14 दिनांक 09.01.2014 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी सोहनसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 09.01.2014 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया का पुत्र है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टे का परिसर प्रार्थीया के पति द्वारा निर्मित है एवं उस पर प्रार्थीया ही लगातार निवासरत है। जैर निगरानी पट्टे की आड़ में अप्रार्थी प्रार्थीया को घर से बाहर निकालने हेतु आमादा है। उक्त पट्टे की भूमि पुश्तैनी है तथा प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत ने पट्टे के आवेदन की कोई शुल्क नहीं ली, न ही नक्शा बनाया गया और सम्पूर्ण आदेशिका एक ही दिन में लिखी जाकर उक्त पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत झुपेलाव द्वारा मिसल संख्या 01/2013–14, संकल्प संख्या 04/2013–14 दिनांक 09.01.2014 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी सोहनसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 09.01.2014 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कथन किया कि ग्राम पंचायत ने रास्ते की भूमि को शामिल करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। प्रश्नगत भूमि के नक्शे का अवलोकन करने पर यह पाते है कि उक्त भूखण्ड का भूजा दक्षिण दिशा में 43.6 फीट अंकित है जबकि उसमें 8.6 फीट का रास्ता भी सम्मिलित है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जो जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है उसकी भी दक्षिण दिशा में भूजा 43.6 फीट है, जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत ने रास्ते की भूमि को शामिल करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो प्रथमदृष्टया खारिज योग्य है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ''Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. इसके अतिरिक्त जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड में मिसल में कोई आवेदन पत्र संलग्न नहीं है अर्थात् ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिलस का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि सम्पूर्ण आदेशिका पूर्व से एक निर्धारित प्रपत्र में लिखी हुई है जिसके अप्रार्थी की जानकारी बाद में अंकित की गई है। आदेशिका दिनांक 05.07.2013 के द्वारा सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार कने एवं आदेशिका दिनांक 06.08.2013 तीन पंचों की कमेटी गठित की जाकर मौका निरीक्षण किया जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। साथ ही प्रश्नगत भूमि के नक्शें पर सायल के हस्ताक्षर नहीं है। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) ''क से ड'' के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में दोनों बयान एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, जिसमें एक बयान निर्धारित प्रारूप में लिखा गया है जिसमें अप्रार्थी की जानकारी बाद में अंकित की गयी तथा दूसरा बयान इसकी ही कार्बन कॉपी है एवं उसमें भी पश्चातवर्ती अंकन किया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

गया है, जो कि देखने मात्र से स्पष्ट होता है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, वह एक कार्बनकॉपी है तथा उक्त नोटिस की पुश्त पर सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में हस्ताक्षर है, उनकी वल्दियती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। प्रकरणों में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत झुपेलाव द्वारा मिसल संख्या 01/2013–14, संकल्प संख्या 04/2013–14 दिनांक 09.01.2014 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी सोहनसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 09.01.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली